उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-31/2017/एस-2-1581/दस-2017-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 31 जुलाई,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त श्री हरिशंकर मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पद पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नही होगा। प्रोन्नत अधिकारी द्वारा स्वत: परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-31/2017/एस-2-1581(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लख्नऊ।

4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- मुख्य कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट) लखनऊ।

8- संबंधित अधिकारी।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in